अनुदान संख्या 85 – सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
GRANT No. 85 - MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	19668,06,00	20164,63,00	20004,31,37	-160,31,63
पूरक	Supplementary	496,57,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				117,74,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged -*		*10,00,00*	*5,60,08*	*-4,39,92*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	207840,29,00	228743,20,00	218094,51,28	-10648,68,72
पूरक	Supplementary	20902,91,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				10428,09,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹16031.63 लाख) दिसम्बर, 2021 और मार्च, 2022 में प्राप्त ₹49657.00 लाख के पूरक अनुदान का 32 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत से कम थीं।

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹16031.63 lakhs) constituted 32 percent of the supplementary grants of ₹49657.00 lakhs obtained in December, 2021 and March, 2022 and less than 1 percent of the total sanctioned provision.

बचतें / अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं / हुआ:–

Savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services					
मू.	O.	15365.00		14138.00	13082.04	-1055.96
पु.	R.	-1227.00				
मुख्य शीर्ष "3054" सड़क तथा पुल	Major Head "3054" Roads and Bridges					
मू.	O.	543815.00				
पू.	S.	1.00		573327.00	570756.23	-2570.77
पु.	R.	29511.00				
मुख्य शीर्ष "3055" सड़क परिवहन	Major Head "3055" Road Transport					
मू.	O.	73200.00				
पू.	S.	1.00		33633.00	33385.80	-247.20
पु.	R.	-39568.00				
मुख्य शीर्ष "3602" विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature					
मू.	O.	27426.00				
पू.	S.	39655.00		65955.00	65573.00	-382.00
पु.	R.	-1126.00				

(I) ₹7422.00 लाख का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:–

(I) Provision of ₹7422.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "3054" – "सामान्य – आरक्षित निधियों/जमा लेखे को/से अंतरण – राष्ट्रीय राजमार्ग स्थाई पुल शुल्क निधि को अंतरण" – ₹2007.00 लाख – वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार संपूर्ण प्रावधान के राजस्व भाग से पूंजीगत भाग को अंतरण की वजह से निधियों के अभ्यर्पण के कारण।

(A) Major Head "3054" – "General – Transfers to/from Reserve Funds/Deposit A/cs – Transfers to National Highways Permanent Bridges Fees Fund" - ₹2007.00 lakhs – due to surrender of funds owing to shifting of entire provision from Revenue Section to Capital Section as per directions of Ministry of Finance.

(खा) मुख्य शीर्ष "3055" – "अनुसंधान – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड" – ₹2000.00 लाख – राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के लिए मसौदा नियमों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा अध्यक्ष और सदस्य का चयन न किए जाने के कारण।

(B) Major Head "3055" – "Research – National Road Safety Board financed from Central Road and Infrastructure Fund" - ₹2000.00 lakhs – due to non-finalization of draft rules for National Road Safety Board and non-selection of Chairman and Member.

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" – "विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्य अंतरण/अनुदान – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से अनुदान – दिल्ली में सड़क" – ₹3415.00 लाख – संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

(C) Major Head "3602" – "Other Transfer/Grants to Union Territory Governments with Legislature – Grants from Central Road and Infrastructure Fund – Road in Delhi" - ₹3415.00 lakhs – due to non-receipt of proposals from Union Territory of Delhi.

(II) मुख्य शीर्ष "3602" – "विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्य अंतरण/अनुदान – आरक्षित निधियों/जमा लेखे को/से अंतरण – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण के लिए एकमुश्त अनुदान" – ₹13713.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹19827.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹33540.00 लाख तक बढ़ाया गया – तथापि, यह ₹563.00 लाख की सीमा तक – उपयोग प्रमाण–पत्रों के प्राप्त न होने की वजह से निधियों के कम अंतः लेखा अंतरण के कारण अप्रयुक्त रहा ।

(II) Under Major Head "3602" – "Other Transfer/Grants to Union Territory Governments with Legislature - Transfers to/from Reserve Funds/Deposit A/cs – Block Grant for Transfer to Central Road and Infrastructure Fund" – the original provision of ₹13713.00 lakhs was augmented to ₹33540.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹19827.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹563.00 lakhs – due to less inter account transfer of funds owing to non-receipt of utilization certificates.

(III) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय" के अंतर्गत ₹2282.96 लाख की बचत (₹15365.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी की वजह से कम दौरे किए जाने और विज्ञापन तथा प्रचार और अन्य स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(III) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Ministry of Road Transport and Highways" – saving of ₹2282.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15365.00 lakhs) was due to less tours undertaken owing to COVID-19 pandemic and requirement of less funds towards advertising and publicity and other establishment related expenses.

(IV) मुख्य शीर्ष "3054" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(IV) Under Major Head "3054" – savings occurred under the following heads: -

(का) "राष्ट्रीय राजमार्ग – सड़क निर्माण कार्य – केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि से वित्तपोषित स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)"–₹753.87 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वच्छता कार्य योजना की कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधियों के कम उपयोग के कारण हुई।

(खा) "सामान्य – अनुसंधान और विकास – राजमार्ग अनुसंधान – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्त पोषित" – ₹753.14 लाख की बचत (₹4896.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3055" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "अनुसंधान" –

(क) "सार्वजनिक सड़क परिवहन संबंधी महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्कीम" – ₹7208.20 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वाहन ट्रेकिंग प्लेटफार्म के लिए स्कीम के अंतर्गत कम दावों को अंतिम रूप दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित सड़क सुरक्षा" – ₹6751.55 लाख की बचत (₹10900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी की वजह से सड़क सुरक्षा गतिविधियों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब और अंतिम रूप दिए जाने में विलंब की वजह से कम परियोजनाओं के अनुमोदन के कारण हुई।

(ग) "केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित निरीक्षण और रखरखाव केन्द्र" – ₹1485.23 लाख की बचत (₹2900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को जारी रखने को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब तथा कोविड–19 महामारी की वजह से राज्य सरकारों से कम मांग के कारण हुई।

(A) "National Highways – Road Works - Swachhta Action Plan (SAP) financed from Central Road and Infrastructure Fund" - saving of ₹753.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to utilization of less funds by implementing agencies for Swachhta Action Plan.

(B) "General – Research and Development - Highway Research – funding from Central Road and Infrastructure Fund" - saving of ₹753.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4896.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Research Agencies

(V) Under Major Head "3055" – savings occurred under the following heads: -

(A) "Research" –

(a) "Scheme for Safety of Women on Public Road Transport" - saving of ₹7208.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to finalization of less claims under the scheme for Vehicle Tracking Platform.

(b) "Road Safety financed from Central Road and Infrastructure Fund" – saving of ₹6751.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10900.00 lakhs) was due to late finalization of Road Safety activities owing to COVID-19 pandemic and approval of less projects owing to delay in finalization.

(c) "Inspection and Maintenance Centre financed from Central Road and Infrastructure Fund" - saving of ₹1485.23 lakhs (against the sanctioned provision ₹2900.00 lakhs) was due to delay in finalization of continuation of the scheme and less demand from State Governments owing to COVID-19 pandemic.

(घ) "केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि से वित्त पोषित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का सुधार और सुदृढ़ीकरण" – ₹9220.16 लाख की बचत (₹10300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्यता तथा योजना के पुनरीक्षणाधीन होने की वजह से बस–अड्डों से संबंधित परियोजनाओं के स्वीकृत न होने के कारण हुई।

(d) "Improving and Strengthening of Public Transport System financed from Central Road Infrastructure Fund" - saving of ₹9220.16 lakhs (against the sanctioned provision ₹10300.00 lakhs) was due to non-sanctioning of projects relating to bus ports owing to non-viability and scheme is being under review.

(खा) "आरक्षित निधि/जमा लेखे को/से अंतरण – केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि को अंतरण के लिए एकमुश्त अनुदान" – ₹15759.00 लाख की बचत (₹31600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू कार्यों की धीमी प्रगति की वजह से निधियों के कम अंतः लेखा अंतरण और राज्य सरकारों से नई सड़कों के निर्माण के प्रति कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(B) "Transfer to/from Reserve Funds/Deposit A/cs – Block Grant for Transfer to Central Road Infrastructure Fund" – saving of ₹15759.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31600.00 lakhs) was due to less inter account transfer of funds owing to slow progress of ongoing works and receipt of less proposals towards construction of new roads from State Governments.

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹329.00 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 39 प्रतिशत थी।

(VI) Under one head saving of ₹329.00 lakhs occurred constituting 39 percent of the sanctioned provision.

2. उपरोक्त बचतों का आंशिक रूप से (₹37015.00 लाख) उपयोग प्रावधान में वृद्धि के लिए किया गया जैसा कि निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹39657.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2. The above savings were partly (₹37015.00 lakhs) utilized for augmenting the provision as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grants of ₹39657.00 lakhs under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "3054" –

(A) Major Head "3054" –

(क) "राष्ट्रीय राजमार्ग – सड़क निर्माण कार्य – रखरखाव" – ₹15752.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹14688.74 लाख हुआ।

(a) "National Highways – Road Works – Maintenance" - ₹15752.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹14688.74 lakhs.

(ख) "सामान्य – आरक्षित निधियों/जमा लेखे को/से अंतरण – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण के लिए एकमुश्त अनुदान" – ₹15759.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹15758.50 लाख हुआ।

(b) "General - Transfers to/from Reserve Funds/Deposit A/cs – Block Grant for Transfer to Central Road and Infrastructure Fund" - ₹15759.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹15758.50 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "3055" – "अनुसंधान – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित राष्ट्रीय डाटाबेस नेटवर्क" – ₹2664.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2608.94 लाख था।

(B) "Major Head "3055" – "Research – National Data Base Network financed from Central Road and Infrastructure Fund" - ₹2664.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2608.94 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" – "विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्य अंतरण/अनुदान – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि – जम्मू और कश्मीर में सड़क" – वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2799.00 लाख था।

(C) Major Head "3602" – "Other Transfer/Grants to Union Territory Governments with Legislature – Grants from Central Road and Infrastructure Fund - Road in Jammu and Kashmir" - ₹2840.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2799.00 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹439.92 लाख* की बचत एक शीर्ष के अंतर्गत हुई जो स्वीकृत *विनियोग* का 44 प्रतिशत थी।

3. In the *charged* portion of the capital section of the grant, saving of *₹439.92 lakhs* occurred under one head constituting 44 percent of the sanctioned *appropriation*.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचत (₹1064868.72 लाख) जुलाई, 2021, दिसम्बर, 2021 और मार्च, 2022 में प्राप्त ₹2090291.00 लाख के पूरक अनुदान का 51 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थी।

4. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (₹1064868.72 lakhs) constituted 51 percent of the supplementary grants of ₹2090291.00 lakhs obtained in July, 2021, December, 2021 and March, 2022 and 5 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः –

Savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
मुख्य शीर्ष "4552" पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	959000.00			
पू.	S.	93000.00	..	..	..
पु.	R.	-1052000.00			
मुख्य शीर्ष "5054" सड़क और पूलों पर पूंजी परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads & Bridges				
मू.	O.	19821029.00			
पू.	S.	1997291.00	21830511.00	21808951.28	-21559.72
पु.	R.	12191.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत - Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5055" सड़क परिवहन पर पूंजी परिव्यय	Major Head "5055" Capital Outlay on Road Transport				
मू.	O.	4000.00	1000.00	500.00	-500.00
पु.	R.	-3000.00			

(I) ₹1054000.00 लाख का प्रावधान (₹93000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पांच शीर्षों के तहत पूर्णतया अप्रयुक्त रहेः–

(का) मुख्य शीर्ष "4552" – "राष्ट्रीय राजमार्ग (सड़कें और सेतु) – सड़क निर्माण कार्य" –

(क) "सड़क स्कंध और बीआरडीबी के अंतर्गत सड़क विकास कार्य" – ₹130000.00 लाख;

(ख) "पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम" – ₹79000.00 लाख;

(ग) "राष्ट्रीय निवेश निधि से वित्तपोषित सड़क स्कंध और सीमा सड़क विकास बोर्ड के अधीन सड़क विकास कार्य" – ₹442500.00 लाख (₹89500.00 लाख के पूरक अनुदान सहित); और

(घ) "राष्ट्रीय निवेश निधि से वित्त पोषित पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम" – ₹400500.00 लाख (₹3500.00 लाख के पूरक अनुदान सहित)।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

(I) Provision of ₹1054000.00 lakhs (including supplementary grant of ₹93000.00 lakhs) remained wholly unutilized under five heads under the following major heads: -

(A) Major Head "4552" – "National Highways (Roads & Bridges) – Road Works" -

(a) "Road Development Works under Roads wing and BRDB" - ₹130000.00 lakhs;

(b) "Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas" - ₹79000.00 lakhs;

(c) "Road Development Works under Roads Wing and Border Road Development Board financed from National Investment Fund" - ₹442500.00 lakhs (including supplementary grants of ₹89500.00 lakhs); and

(d) "Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas financed from National Investment Fund" - ₹400500.00 lakhs (including supplementary grants of ₹3500.00 lakhs).

Provisions under the above four heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष "5055" – "कार्यशाला सुविधाएं – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित निरीक्षण और रख रखाव केन्द्र" – ₹2000.00 लाख – राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "5054" के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान – "राष्ट्रीय राजमार्ग" – पूर्णतया अप्रयुक्त रहा जैसा कि प्रत्येक के सामने दर्शाया गया है:–

(का) "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण" – ₹5735000.00 लाख का मूल प्रावधान ₹471000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹6206000.00 लाख किया गया। तथापि, ₹500472.77 लाख रुपए (पूरक अनुदान सहित) की बचत हुई – राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण की आय के कम जमा के कारण।

(खा) "सड़क निर्माण कार्य" –

(क) "सड़क स्कंध के अधीन निर्माण कार्य" – ₹610000.00 लाख का मूल प्रावधान ₹71200.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹681200.00 लाख किया गया। तथापि, वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार सकल बजटीय सहायता में कटौती के कारण – ₹162187.18 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत हुई।

(ख) "केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्र सरकार" – ₹27311.00 लाख का मूल प्रावधान ₹245.00 लाख का पूरक प्रावधान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹27556.00 लाख किया गया। तथापि, संघ राज्यक्षेत्र से उपयोग प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं होने की वजह से लद्दाख में सड़कों के निर्माण लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण – ₹25805.95 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत हुई।

(B) Major Head "5055" – "Workshop Facilities – Inspection and Maintenance Centre financed from Central Road and Infrastructure Fund" - ₹2000.00 lakhs – due to non-receipt of proposals from State Governments.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "5054" – "National Highways" – remained wholly unutilized as shown against each: -

(A) "Investments in Public Sector and other Undertakings – National Highways Authority of India" – the original provision of ₹5735000.00 lakhs was augmented to ₹6206000.00 lakhs by obtaining supplementary grants of ₹471000.00 lakhs. However, there was a saving of ₹500472.77 lakhs (including supplementary grant) – due to less deposit of proceeds of Monetization of National Highways.

(B) "Road Works" –

(a) "Works under Roads Wing" - the original provision of ₹610000.00 lakhs was augmented to ₹681200.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹71200.00 lakhs. However, there was a saving of ₹162187.18 lakhs (including supplementary grant) – due to reduction of Gross Budgetary Support as per directions of Ministry of Finance.

(b) "Union Territory Governments without legislatures financed from Central Road and Infrastructure Fund" - the original provision of ₹27311.00 lakhs was augmented to ₹27556.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹245.00 lakhs. However, there was a saving of ₹25805.95 lakhs (including supplementary grant) – due to requirement of less funds towards construction of roads in Ladakh owing to non-receipt of utilization certificates from the UT.

(III) मुख्य शीर्ष "5054" – "राष्ट्रीय राजमार्ग – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – राष्ट्रीय राजमार्ग मूल निर्माण कार्य – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित जनजातीय उप–योजना" के अंतर्गत – ₹270000.00 लाख का मूल प्रावधान ₹40000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹310000.00 लाख किया गया। तथापि यह महाराष्ट्र राज्य सरकार से कम बिल प्राप्त होने के कारण – ₹2321.44 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(III) Under Major Head "5054" – "National Highways – Tribal Area Sub-Plan – National Highways Original Works – Tribal Sub-Plan financed from Central Road and Infrastructure Fund" – the original provision of ₹270000.00 lakhs was augmented to ₹310000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹40000.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹2321.44 lakhs – due to receipt of less bills from State Government of Maharastra.

(IV) मुख्य शीर्ष "5054" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "राष्ट्रीय राजमार्ग – सड़क निर्माण कार्य – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित अन्य राजमार्ग संबंधित योजनाएं" – ₹18197.82 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹179101.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी प्रगति और योजना के विश्व बैंक राष्ट्रीय हरित राजमार्ग परियोजना में विलय के कारण हुई।

(खा) "सामान्य – आरक्षित निधियों/जमा लेखे को/से अंतरण – राष्ट्रीय राजमार्ग निधि के मुद्रीकीकरण को अंतरण" – ₹500000.00 लाख की बचत (₹1000000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय राजमार्गों के मुद्रीकरण की आय के कम जमा के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "5054" – savings occurred under the following heads: -

(A) "National Highways – Road Works - Other Highways related schemes financed from Central Road and Infrastructure Fund" - saving of ₹18197.82 lakhs (against the total sanctioned provision ₹179101.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to slow progress of work and merging of the scheme with World Bank National Green Highways Project.

(B) "General – Transfers to/from Reserve Funds/ Deposit A/cs - Transfer to Monetization of National Highways fund" - saving of ₹500000.00 lakhs (against the sanctioned provision ₹1000000.00 lakhs) was due to less deposit of proceeds of Monetization of National Highways.

(V) मुख्य शीर्ष "5055" – "आरक्षित निधियों/जमा लेखे को/से अंतरण – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण के लिए एकमुश्त अनुदान" के अंतर्गत – ₹1500.00 लाख की बचत (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आईएंडसी केन्द्रों के लिए उपकरणों की आपूर्ति न होने की वजह से कम अंतः लेखा अंतरण के कारण हुई।

(V) Under Major Head "5055" – "Transfers to/ from Reserve Funds/Deposit A/cs - Block Grant for Transfer to Central Road and Infrastructure Fund" - saving of ₹1500.00 lakhs (against the sanctioned provision ₹2000.00 lakhs) was due to less inter account transfer of funds owing to non-supply of equipments for I & C centres.

5.(I) उपरोक्त बचतों का निम्नलिखित शीर्षों के अधीन आंशिक रूप से (₹159166.00 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए उपयोग किया गया जैसा कि मुख्य शीर्ष "5054" के अंतर्गत ₹1997290.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) "राष्ट्रीय राजमार्ग – सड़क निर्माण कार्य – राष्ट्रीय राजमार्ग मूल निर्माण कार्य" – ₹18100.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹11029.40 लाख हुआ।

(खा) "सामान्य – आरक्षित निधियों/जमा लेखे को/से अंतरण – केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि को अंतरण" – ₹141066.00 लाख।

(II) बचतों को मुख्य शीर्ष "5054" – "राष्ट्रीय राजमार्ग – सड़क निर्माण कार्य" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित किया गया:–

(का) "पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम" – ₹209000.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) "राष्ट्रीय निवेश निधि से वित्तपोषित पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम" – ₹838590.98 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में)।

उपरोक्त दो शीर्षों के अधीन अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

6. केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (पूर्ववर्ती केंद्रीय सड़क निधि):–

इस निधि का वित्तपोषण कर लगाए गए मोटर स्पिरिट (विमानन स्पिरिट को छोड़कर) पर लगाए गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क से प्राप्त आय के एक भाग (3.5 पैसे प्रति लीटर) द्वारा किया जाता है जिसे संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों के रूप में भारत की समेकित निधि में जमा किया जाता है। 2000–2001 के बजट प्रावधान के अनुसार सड़कों के विकास और रख–रखाव के लिए 2 जून, 1998

5.(I) The above savings were partly (₹159166.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grant of ₹1997290.00 lakhs under Major Head "5054" – under the following heads: -

(A) "National Highways – Road Works - National Highways Original Works" - ₹18100.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹11029.40 lakhs.

(B) "General - Transfers to/from Reserve Funds/Deposit A/cs – Transfer to Central Road and Infrastructure Fund" - ₹141066.00 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "5054" – "National Highways – Road Works" - under the following heads: -

(A) "Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas" – excess of ₹209000.00 lakhs (against Nil provision); and

(B) "Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas financed from National Investment Fund" – excess of ₹838590.98 lakhs (against Nil provision).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

6. Central Road and Infrastructure Fund (erstwhile Central Road Fund):-

The fund is financed from part (3.5 paise per liter) of the proceeds of Union Excise and Customs Duties levied on taxed motor spirit (other than aviation spirit) credited to the Consolidated Fund of India by way of grants voted by Parliament. As per the budgetary provisions of 2000-2001 an additional tax of Re. 1/- per liter has been levied on Petrol with

से पेट्रोल पर और 1 मार्च, 1999 से हाई स्पीड डीजल पर 1/– रु. प्रति लीटर का अतिरिक्त कर लगाया जा रहा है। यह अतिरिक्त निधि पुनःसंशोधित केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के अनुसार केंद्रीय सड़क निधि को अंतरित की जाती है और इस निधि के संकल्प के अनुसार संसद द्वारा स्वीकृत अनुदान में से सड़कों के विकास और अनुसंधान स्कीमों के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को जारी की जाती है। केंद्रीय सड़क और अवसरंचना निधि अधिनियम 2018 में पारित किया गया।

effect from 2nd June, 1998 and High Speed Diesels with effect from 1st March, 1999 for the development and maintenance of roads. This additional fund is transferred to Central Road Fund in accordance with revamped Central Road Fund Act, 2000 and releases are made from the Fund to State Governments and Administration of Union Territories for development of roads and research schemes out of grant voted by Parliament in accordance with the resolution of this Fund. Central Road and Infrastructure Fund Act was passed in 2018.

वर्ष 2021–2022 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था:–

The Account of the Fund for 2021-2022 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	4604,22,08
प्राप्तियां	Receipts	251738,18,08
अदायगियां	Payments	228000,09,49
अंतशेष	Closing Balance	28342,30,67

7. राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी सेतु शुल्क निधि:–

7. National Highways Permanent Bridges Fees Fund: -

ये शुल्क राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने ऐसे स्थायी पुलों जिनकी प्रत्येक की लागत ₹25.00 लाख से अधिक और ₹100.00 लाख तक है और जो 1 अप्रैल, 1976 को या उसके बाद परन्तु मार्च, 1992 की पहली तारीख से पहले यातायात के लिए खोल दिए गए थे, का उपयोग करने वाले यंत्रचालित वाहनों पर लगाए जाते हैं और उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने ₹100.00 लाख से अधिक की लागत वाले सभी पुलों पर लगाए जाने वाले शुल्क के संग्रहण के लिए अलग से अधिसूचित किए जाएंगे। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा उगाहे गए शुल्कों से होने वाली आय पहले भारत की समेकित निधि में जमा कर दी जाती है। इन्हें संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों में से भारत के लोक लेखे में "राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि" को अंतरित कर दिया जाता है। संग्रहित राशि के संग्रहण प्रभार राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन (12 प्रतिशत पर) को देय होते हैं जिन्हें संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों द्वारा निधि में से भी उपलब्ध कराया जाता है। शेष निधि का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए किया जाता है।

The fees are levied on mechanically propelled vehicles using permanent bridges on National Highways which cost more than ₹25.00 lakhs and upto ₹100.00 lakhs for each and were built and opened to traffic on or after 1st April, 1976 but before the first day of March, 1992 and thereafter all the bridges costing more than ₹100.00 lakhs on National Highways, shall be notified separately for levy of fee collection. The proceeds from the fees which are collected in the States and Union Territories Governments are initially credited to the Consolidated Fund of India. These are transferred to the "National Highways Permanent Bridges Fee Fund" in the Public Accounts of India out of grants voted by Parliament. Collection charges payable to State Governments and Administration of Union Territories (at 12 percent) of the amount collected are also made out of fund by way of grants voted by Parliament. The balance in the Fund is utilized for development of National Highways.

वर्ष 2021–2022 के लिए इस निधि का लेखा इस प्रकार था:–

The Account of the Fund for 2021-2022 was as follows:

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	302,20,52
प्राप्तियां	Receipts	12670,07,00
अदायगियां	Payments	12670,05,20
अंतशेष	Closing Balance	302,22,32